संख्याः17M(4)/35-आ0-1/2009-12

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

प्रेष्य,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

राज्य योजना आयोग-1, नियोजन विभाग चतुर्थ तल, योजना भवन लखनऊ:दिनाँक:मार्च 31 , 20

विषय: आधार परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या:17M(4)/35-आ0-1/2009-12, दिनाँक:04-03-2014 द्वारा यू0आई0डी0ए0आई0 परियोजना के क्रियान्वयन के लिये मण्डलायुक्त को अपने क्षेत्र हेतु रजिस्ट्रार एवं उनकी सहायतार्थ मण्डल में आने वाले जिलों के जिलाधिकारियों को संयुक्त रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

2- इसी क्रम में आपके द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में निवासियों का आधार हेतु नामांकन का कार्य एनरोलमेन्ट एजेन्सियों द्वारा कराना होगा। नामांकन हेतु एनरोलमेन्ट एजेन्सियों का चयन राज्य स्तर पर किया जायेगा एवं चयन के उपरान्त एनरोलमेन्ट एजेन्सियों का विवरण आपको प्रेषित कर दिया जायेगा। इन एजेन्सियों द्वारा आपके दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत यू0आई0डी0ए0आई0 के निर्धारित मानकों के अनुरूप निवासियों का नामांकन किया जायेगा।

3- उपरोक्त को पूर्ण कराने हेतु अधोलिखित कार्यवाही करने का कष्ट करें:-

- आपके मण्डल/जनपद के अन्तर्गत ऐसे सभी निवासी जिनका अभी तक आधार/एन0पी0आर0 के अन्तर्गत नामांकन नहीं किया गया है, उन सभी का नामांकन किया जाना है। यू0आई0डी0ए0आई0 के अन्तर्गत सभी आयु के निवासियों का नामांकन किया जाना है। इस हेतु यह विशेष ध्यान रखा जाना होगा कि अल्प सुविधा प्राप्त (Under privileged) निवासियों के नामांकन हेतु विशेष प्रयास किये जायें।

......2

- निवासियों को नामांकन हेतु यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा निर्धारित पहचान/पता प्रपत्र उपलब्ध कराने होंगे।
- नामांकन केन्द्रों में इस प्रकार से व्यवस्था सुनिश्चित की जाये कि उपलब्ध मशीनों पर प्रतिदिन सम्भावित नामांकनों की संख्या के आधार पर ही निवासी आयें, जिससे निवासियों को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न करनी पड़े।
- नामांकन केन्द्रों में प्रभावी रूप से प्रचार-प्रसार (आई0ई0सी0) की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये जिससे कि निवासियों को इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके।
- नामांकन केन्द्र सार्वजनिक स्थल जैसे-स्कूल, पंचायत भवन एवं अन्य सरकारी भवनों में ही लगवाये जायें।
- यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा प्रत्येक सफल आधार जनरेशन पर रू0 40 (रूपया चालीस) मात्र की दर से धनराशि रजिस्ट्रार को उपलब्ध करायी जायेगी।
- उपरोक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु बैंक में खाता खोलकर इसकी सूचना नियोजन विभाग एवं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, टी0सी0/46-V, तृतीय तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को उपलब्ध करायें।
- एनरोलमेन्ट एजेन्सियों को आधार जनरेशन के आधार पर निर्धारित दर पर भुगतान किया जायेगा।
- राज्य सरकार के अतिरिक्त नॉन-स्टेट रजिस्ट्रार जैसे एन0एस0डी0एल0, बैंक इत्यादि द्वारा भी नामांकन किया जायेगा, अतः एनरोलमेन्ट के कार्य प्रारम्भ करने के उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाये कि इन सभी एजेन्सियों (स्टेट एवं नॉन स्टेट रजिस्ट्रार) के मध्य क्षेत्र का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि कार्य में दोहरापन न हो एवं सभी क्षेत्रों के निवासियों को नामांकन की सुविधा उपलब्ध हो सके। नॉन स्टेट रजिस्ट्रार एवं उनकी एनरोलमेन्ट एजेन्सी के जिला स्तरीय, मण्डल स्तरीय एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की सूची आपको उपलब्ध करायी जायेगी।
- निवासियों के आधार संख्या के जनरेशन हेतु नामांकन पैकेट यू0आई0 डी0ए0आई0 को अपलोड किया जाना है। इसके लिये सुनिश्चित किया जाये कि एनरोलमेन्ट एजेन्सी द्वारा यू0आई0डी0ए0आई0 की

.....3

निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नामांकन पैकेट यू0आई0डी0ए0आई0 के पोर्टल पर अपलोड कर दिये जायें।

- निवासियों द्वारा नामांकन हेतु प्रस्तुत किये गये दस्तावेज यू0आई0डी ए0आई0 द्वारा नियुक्त Document Management System एजेन्सी को उपलब्ध कराने हैं। अतः समय से सुनिश्चित किया जाये कि यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित एनरोलमेन्ट एजेन्सी द्वारा Document Management System एजेन्सी को दस्तावेज उपलब्ध करा दिये जायें।

उपरोक्त कार्यों को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने हेतु अपने-अपने मण्डल तथा अपने-अपने जनपद में एक नोडल अधिकारी को नामित कर नियोजन विभाग एवं यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या:17M(4)(1)/35-आ0-1/2009-12, तद् दिनाँक:

उक्त की प्रतिलिपि उप महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
प्रमुख सचिव